(60)

CANCELLED CANCELLED

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व अधिकारी [रेवेन्यू बोर्ड] ग्वालियर म०प्र०

केम्प जबलपुर म०प्र०

निगरानी- 6256/2018/कटनी/भू.रा.

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक :- /2018

721

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक :- नारायण प्रसाद पिता स्व. पूरनलाल रावत, निवासी- फुटेरा वार्ड क्रं.-2 दमोह, तहसील व जिला-दमोह [म०प्र०]

श्री श्याम सुन्दर सिमोरे रीडर (राजस्व मंडल)
16 OCT 2018
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

विरुद्ध

अनावेदिका :- सावित्री बाई पति रामसहाय मिश्रा, निवासी- ग्राम पौंड़ी [पिपरिया] तहसील बहोरीबंद, जिला-कटनी म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रं.-0116/अपील/2016-17 पक्षकार नारायण प्रसाद विरुद्ध सावित्री बाई में पारित आदेश दिनांक 20.9.2018 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है कि :-

31.10.18

प्रकरण के तथ्य

[1] यह कि, अपीलार्थी/पुनरीक्षणकर्ता/आवेदककी मां प्रेमबाई थी, प्रेमबाई का पहला विवाह xxxxxxx पूरनलाल रावत के साथ हुआ था तथा जब आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता नाबालिक होकर 3 वर्ष की अल्प आयु में प्रेमबाई ने दूसरा विवाह रामकृष्ण से किया था । तथा अनावेदिका सावित्री बाई भी रामकृष्ण की पहली पत्नि की पुत्री थी अत: इस प्रकार रामकृष्ण का प्रेमबाई के साथ दूसरा विवाह था तथा पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक प्रेमबाई के पहले पति का पुत्र था एवं अनावेदिका रामकृष्ण की पहली पत्नि की पुत्री थी ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक निगरानी—कटनी / भू0रा0 / 2018 / 6256

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11-12-18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 116 / 2016—17 अपील में पारित आदेश दिनांक 20—9—18 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25—9—18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई—योग्य नही रही है, क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद के आदेश दिनांक 24—8—17 के विरूद्व द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर आदेश दिनांक 20—9—18 से निराकृत कर चुके हैं। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25—9—18) की धारा 50 (2) (ख) इस प्रकार है — धारा 50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन — (ख)इस संहिता के अधीन द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व (ग्रहण नहीं किया जायेगा) तद्नुसार भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25—9—18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	